कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश
वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड-2 भोपाल- 462003

ई-मेलःapccfdev@mp.gov.in

क्रमांक/एफ-2/2026-27/10-3/ 3182 भोपाल, दिनांक 09/06/2026

प्रति,

1. **समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय बन वृत्त**
2. **समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व**
   मध्य प्रदेश
3. **समस्त वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय मध्य प्रदेश**

विषयः- वर्षा ऋतु 2026 में पौधारोपण के संबंध मे।

-:0:-

प्रदेश में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है तथा आप सब को विदित है कि इस अवधि में पौधारोपण कार्य विभाग की सबसे प्रमुख गतिविधि है। वर्षा ऋतु 2026 में विभिन्न योजनाओं जैसे कार्य आयोजना का क्रियांवयन, कैम्पा मद, वैकल्पिक पौधारोपण, पर्यावरण वानिकी, राष्ट्रीय वनीकरण योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत रोपण हेतु तैयारी सभी वन मण्डलों द्वारा पूर्ण कर ली गयी होगी।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत पौधारोपण हेतु विभाग की सामाजिक वानिकी रोपणियों से पौधा प्राप्त कर रोपण का कार्य किया जाना है। आशा है कि इस हेतु सभी मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (क्षेत्रीय) व्दारा वनमण्डलाधिकारी एवं वनमंडलाधिकारी सामाजिक वानिकी के साथ बैठक कर वन मण्डलवार, परिक्षेत्रवार एवं रोपण वार किन-किन रोपणियों से पौधा प्राप्त किया जाना है इसकी योजना बनाकर प्रजातिवार मैपिंग की जा चुकी होगी।

वर्ष 2026 में पौधारोपण के संबंध में विभिन्न अवसरों पर आपको समुचित निर्देश दिये जा चुके हैं, जिनका पालन सुनिश्चित करें। निम्नलिखित मुख्य दिशा-निर्देश पुनः प्रसारित किये जाते हैं:-

I. सामाजिक वानिकी रोपणियों में तैयार किये जा रहे पौधों का रोपण हेतु मानकीकरण निर्धारण विभाग द्वारा किया गया है। अतः वर्षा ऋतु 2026 में रोपण हेतु सामाजिक वानिकी वृत्त की रोपणियों से तय मानकों के अनुसार ही पौधे प्राप्त किये जाये। मानकीकरण के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी, मध्यप्रदेश व्दारा जारी पत्र क्रमांक 327 दिनांक 13.02.2020 की प्रति संलग्न है। यदि वन मण्डल में स्थित सामाजिक वानिकी की रोपणियों में मानक पौधे कम हों तो समीपस्थ अन्य सामाजिक वानिकी वृत्त की रोपणियों से उपलब्धतानुसार पौधा प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये। किसी भी स्थिति में मानकीकरण से नीचे स्तर के पौधे सामाजिक वानिकी रोपणियों से प्राप्त नहीं किये जाये, न ही किसी भी दशा में ऐसे पौधों का रोपण किया जाये। पौधारोपण स्थल के अनुकूल एवं उस

क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियों एवं क्षेत्र में विगत वर्षों में पौधारोपण की सफल प्रजातियों के अनुरूप ही रोपण कार्य हेतु प्रजातियों का चयन किया जाये।

II. रोपण में सागौन के साथ अन्य प्रजातियों के रोपण को भी करते हुए आवश्यकतानुसार प्राथमिकता दी जाये। विभिन्न प्रजातियों के सम्मिश्रण में स्थानीय तथा मिश्रित प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाये। इस तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र कमांक/एफ 3/3/4/004-Sec-10 (for) दिनांक 10.10.2023 से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

III. वन क्षेत्रों में विदेशागत प्रजातियां (Exotic species) न लगाई जाये। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के पत्र क्रमांक 1121 दिनांक 02.05.2016 के द्वारा पौधारोपण क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय के उपयोग एवं जीविकोपार्जन में आने वाली प्रजातियां जैसेः महुआ, आंवला, हर्रा, बहेडा, चिंरोजी, ईमली, इत्यादि प्रजातियों की न्यूनतम 10 प्रतिशत मिश्रित प्रजातियां लगाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसका पालन सुनिश्चित किया जाये। इस 10 प्रतिशत में 1 से 2 प्रतिशत RET प्रजातियां रोपित की जायें। पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

IV. पौधारोपण क्षेत्रों हेतु पौधा परिवहन पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि बहुत अधिक दूरी से परिवहन न करना पड़े तथा परिवहन में पौधे क्षतिग्रस्त न हों।

V. विभाग की विभिन्न योजनाओं में पौधा रोपण कराया जाता है। पौधा परिवहन व्यवस्था में विधिवत जिम्मेदार कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाए। समस्त पौधा रोपण की जानकारी संलग्न प्रपत्र/गूगल शीट में अंकित की जावे। पौधा रोपण मूल्यांकन एवं निगरानी प्रणाली में पंजीकरण हेतु उन्हीं क्षेत्रों की जानकारी को शामिल किया जाये जहाँ पर 03 से 11 वर्ष की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर विधिवत सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य किया जाता है।

VI. पौधारोपण हेतु पौधे एवं रूटशूट सामाजिक वानिकी वृत्त की रोपणियों / मध्यप्रदेश वन विकास निगम के माध्यम से ही प्राप्त किये जायें। बिना मुख्यालय की अनुमति के निजी संस्थाओं से कोई रूटशूट क्रय नहीं किये जाये।

VII. यदि समीप के सामाजिक वानिकी वृत्त की रोपणियों में अच्छे पौधे अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हैं, तो वहाँ से भी पौधे प्राप्त करने की कार्यवाही प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार से संपर्क कर की जा सकती है। यदि उत्कृष्ट गुणवत्ता के पौधे / स्टशूट प्राप्ति में कठिनाई हो, तो मुख्यालय को तत्काल अवगत कराए।

VIII. पौधारोपण निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली में इस वर्ष किये जा रहे सभी वृक्षारोपणों का पंजीयन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कैम्पा मद के वृक्षारोपणों का E-green watch portal पर प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।

IX. सामाजिक वानिकी वृत्तों द्वारा काफी बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है जिसका पौधारोपण क्षेत्रों में उपयोग किया जाये। बाहर से वर्मी कम्पोस्ट प्राप्त करने के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी मध्यप्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

X. पौधारोपण कार्यों में स्थानीय वन समितियों का सक्रिय योगदान लिया जाये। रोपण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बंधित वन समिति की बैठक कर उन्हें कराये जा रहे रोपण कार्यों की जानकारी दी जाये।

XI. प्रत्येक पौधारोपण क्षेत्र के लिये एक प्रभारी अधिकारी नामांकित करें जो वनपाल/उप वन क्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर का न हो। समस्त परिक्षेत्र सहायक एवं उप वन क्षेत्रपाल अपने-अपने संपूर्ण क्षेत्र में हो रहे पौधारोपण क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारी होगें।

XII. पौधारोपण क्षेत्रवार प्रभारी अधिकारियों को नामांकित कर वृत्त की संकलित जानकारी इस कार्यालय को दिनांक 25 जून 2026 तक भेजी जाए। प्रत्येक प्रभारी अधिकारी इस पत्र में पौधारोपण के संबंध में दिए गये समस्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे और सभी प्रकार की जानकारी अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी को प्रतिदिन उपलब्ध कराएंगे।

XIII. समस्त रोपण क्षेत्रों में किये जा रहे रोपण की जानकारी मेरी लाइफ पोर्टल पर एक पेड़ माँ के नाम में अंकित करना सुनिश्चित करें।

पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रोपण वर्ष 2026 में रोपित पौधों की वन मण्डलवार संकलित जानकारी प्रतिदिन रोपण के दूसरे दिन 12 बजे तक संलग्न निर्धारित प्रपत्र 1 में ई-मेल/गूगल शीट के माध्यम से तथा पौधारोपण पूर्ण होने पर कराये गये सम्पूर्ण पौधारोपण की संकलित जानकारी प्रपत्र 2 में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस बात भी ध्यान रखें कि वर्षा ऋतु 2026 में पौधा रोपण हेतु वन मण्डलों के लक्ष्य अनुसार पौधों का रोपण कराया जाकर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का वर्षा ऋतु 2026 में रोपण किये जाने वाले पौधारोपण में पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

पौधारोपण की शुभकामनाओं सहित।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

9/6/26

(शुभरंजन सेन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-2/2026-27/10-3/ 3183 भोपाल, दिनांक 09/06/2026

प्रतिलिपिः-

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास, भोपाल
2. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी को छोड़कर) मुख्यालय भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी) मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कृपया यह सुनिश्चित करे कि समस्त सामाजिक वानिकी रोपणियों से आपकी शाखा से जारी पत्र क्रमांक 327 दिनांक 13.02.2020 व्दारा निर्धारित मानकों के पौधे ही रोपण क्षेत्रों हेतु प्रदाय किये जाये।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
5. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मिशन संचालक, म.प्र. राज्य बांस मिशन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक / वनमंडलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वृत्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं वन बल प्रमुख मध्प्रदेश, भोपाल।

संलग्नः-मानकीकरण के निर्देश

(शुभरंजन सेन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्य प्रदेश, भोपाल